

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग।

संख्या:—प्र01/वि0स0 विविध-01/15 15

दिनांक— 19/06/19

कार्यालय आदेश

षोडश बिहार विधान सभा के त्रयोदश सत्र एवं बिहार विधान परिषद के 192वें सत्र दिनांक— 28.06.2019 से 26.07.2019 तक विभागीय स्तर पर कार्यों के संपादनार्थ निम्नलिखित पदा0/कर्म0 को कार्यालय अवधि के बाद देर रात्रि तक ठहर कर कार्यों के निष्पादन हेतु आदेश दिया जाता है:—

(1)	श्री बीरेन्द्र कुमार ओझा	प्रशाखा पदाधिकारी
(2)	श्री उदय कुमार रविदास	डाटा गिशलेपक
(3)	श्री राजेश कुमार	कार्यालय अधीक्षक (बिहार विधान परिषद)
(4)	श्री रवि शंकर कुमार	लिपिक- राह टंकक (बिहार विधान सभा कार्य हेतु)
(5)	श्री गणेश कुमार	आगत शाखा (कार्यालय अधीक्षक)
(6)	श्री रितेश कुमार सिंह	निम्न वर्गीय लिपिक
(7)	श्री सुजीत कुमार	निर्गत शाखा (कार्यालय अधीक्षक)
(8)	श्री सुरेश कुमार	कम्प्यूटर ऑपरेटर (बिहार विधान सभा/परिषद)
(9)	श्री मनोज कुमार	अदक्ष खलारी
(10)	श्री शंकर मिस्त्री	अदक्ष खलारी
(11)	श्री अखिलेश मिश्र	घौकीदार

(2) दिनांक 26.06.2019 से 26.07.2019 तक अथवा रात्रि के रात्रावसान तथा विधान मंडल के प्रश्नावली प्राप्त होने के उपरान्त प्रशाखा पदाधिकारी प्रतिदिन आवश्यकतानुसार निश्चित रूप से कार्य संपादन तक ठहरेगें।

(3) प्रशाखा पदाधिकारी पूरे सत्र तक कार्यालय अवधि के बाद रुककर रोस्टर व्यवस्था सुचारु रूप से चले इसे सुनिश्चित करेंगे। विधान सभा/विधान परिषद से प्राप्त प्रश्न उसी दिन बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 एवं अनुषंगी कम्पनी/ब्रेडा/निगम को उत्तर के लिए भेजने की व्यवस्था एवं प्राप्त उत्तर की संचिका अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(4) विधायी कार्यों के लिए देर रात्रि तक रुकनेवाले पदाधिकारी/कर्मचारी को उपस्थिति के अनुसार कार्य दिवस में संध्या 7.00 बजे के बाद तक 100/- (एक सौ) रु0 का अल्पाहार कार्य दिवस में रात्रि 9.00 बजे या उसके बाद तक 250/- (दो सौ पचास) रु0 का भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(5) देर रात्रि तक रुकनेवाले पदाधिकारी/कर्मचारी उप रात्रि कोषांग में प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करेंगे।

सरकार के संयुक्त सचिव,